

पर्यटन मंत्रालय  
मांग संख्या 99  
पर्यटन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	803.88	...	803.88	2405.27	...	2405.27	1343.13	...	1343.13	2400.00	...	2400.00
वसूलियां	-21.87	...	-21.87	-5.27	...	-5.27	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>782.01</b>	...	<b>782.01</b>	<b>2400.00</b>	...	<b>2400.00</b>	<b>1343.13</b>	...	<b>1343.13</b>	<b>2400.00</b>	...	<b>2400.00</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	8.04	...	8.04	8.67	...	8.67	9.80	...	9.80	12.66	...	12.66
2. पर्यटन महानिदेशक	87.13	...	87.13	115.72	...	115.72	110.20	...	110.20	95.85	...	95.85
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>95.17</b>	...	<b>95.17</b>	<b>124.39</b>	...	<b>124.39</b>	<b>120.00</b>	...	<b>120.00</b>	<b>108.51</b>	...	<b>108.51</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
<b>पर्यटन अवसंरचना</b>												
3. विशिष्ट विषयों के आसपास पर्यटन सर्किट का समन्वित विकास (स्वदेश दर्शन)	261.36	...	261.36	1181.30	...	1181.30	600.00	...	600.00	1412.00	...	1412.00
4. आइकानिक पर्यटन स्थल का विकास	...	...	...	130.00	...	130.00	...	...	...	...	...	...
5. तीर्थयात्री पुनर्जागरण और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद)	150.00	...	150.00	235.00	...	235.00	234.00	...	234.00	250.00	...	250.00
6. <b>केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता</b>												
6.01 चैम्पियन सर्विस सेक्टर स्कीम	67.00	...	67.00	101.54	...	101.54	132.26	...	132.26	...	...	...
6.02 केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता	79.56	...	79.56	80.00	...	80.00	55.00	...	55.00	...	...	...
6.03 बाजार अनुसंधान	1.25	...	1.25	10.00	...	10.00	...	...	...	...	...	...
6.04 गंतव्य एवं सर्किटों के लिए उत्पादन/अवसंरचना विकास	5.00	...	5.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	-21.87	...	-21.87	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>-16.87</b>	...	<b>-16.87</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>130.94</b>	...	<b>130.94</b>	<b>191.54</b>	...	<b>191.54</b>	<b>187.26</b>	...	<b>187.26</b>	...	...	...
7. कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी स्कीम	...	...	...	12.50	...	12.50	1.60	...	1.60	1.00	...	1.00
8. पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसी हेतु सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	80.00	...	80.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
9. चैम्पियन सेवा क्षेत्र योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	196.22	...	196.22
<b>जोड़-पर्यटन अवसंरचना</b>	<b>542.30</b>	...	<b>542.30</b>	<b>1750.34</b>	...	<b>1750.34</b>	<b>1022.86</b>	...	<b>1022.86</b>	<b>1939.22</b>	...	<b>1939.22</b>
<b>संवर्धन एवं प्रचार</b>												
10. बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार	9.42	...	9.42	341.00	...	341.00	60.00	...	60.00	167.00	...	167.00
11. बाजार विकास सहायता सहित स्वदेशी संवर्धन एवं प्रचार	40.00	...	40.00	75.00	...	75.00	60.00	...	60.00	75.00	...	75.00
<b>जोड़-संवर्धन एवं प्रचार</b>	<b>49.42</b>	...	<b>49.42</b>	<b>416.00</b>	...	<b>416.00</b>	<b>120.00</b>	...	<b>120.00</b>	<b>242.00</b>	...	<b>242.00</b>
<b>प्रशिक्षण एवं कौशल विकास</b>												
12. आई.एच.एम्./ एफ़.सी.आई./आई.आई.टी.टी.एम्./ एन.डब्ल्यू.आई.एस. को सहायता	73.90	...	73.90	70.00	...	70.00	50.00	...	50.00	70.00	...	70.00
13. सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	21.22	...	21.22	34.00	...	34.00	25.00	...	25.00	35.00	...	35.00
<b>जोड़-प्रशिक्षण एवं कौशल विकास</b>	<b>95.12</b>	...	<b>95.12</b>	<b>104.00</b>	...	<b>104.00</b>	<b>75.00</b>	...	<b>75.00</b>	<b>105.00</b>	...	<b>105.00</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों/परियोजनाएं</b>	<b>686.84</b>	...	<b>686.84</b>	<b>2270.34</b>	...	<b>2270.34</b>	<b>1217.86</b>	...	<b>1217.86</b>	<b>2286.22</b>	...	<b>2286.22</b>
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
14. महिलाओं के लिए संरक्षित पर्यटन स्थल												
14.01 निर्भया निधि में अंतरण	...	...	...	5.27	...	5.27	5.27	...	5.27	5.27	...	5.27
14.02 कार्यक्रम घटक	...	...	...	5.27	...	5.27	5.27	...	5.27	5.27	...	5.27
14.03 निर्भया निधि से राशि को पूरा करना	...	...	...	-5.27	...	-5.27	-5.27	...	-5.27	-5.27	...	-5.27
<i>निवल</i>	...	...	...	5.27	...	5.27	5.27	...	5.27	5.27	...	5.27
<b>कुल जोड़</b>	<b>782.01</b>	...	<b>782.01</b>	<b>2400.00</b>	...	<b>2400.00</b>	<b>1343.13</b>	...	<b>1343.13</b>	<b>2400.00</b>	...	<b>2400.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. विविध सामान्य सेवाएं	0.01	...	0.01	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>0.01</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.50</b>	...	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	...	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	...	<b>0.50</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	...	...	...	<b>0.01</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	...	<b>0.01</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	8.04	...	8.04	8.67	...	8.67	9.80	...	9.80	12.66	...	12.66
4. पर्यटन	773.96	...	773.96	2163.82	...	2163.82	1210.82	...	1210.82	2157.83	...	2157.83
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>782.00</b>	...	<b>782.00</b>	<b>2172.49</b>	...	<b>2172.49</b>	<b>1220.62</b>	...	<b>1220.62</b>	<b>2170.49</b>	...	<b>2170.49</b>
<b>अन्य</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	227.00	...	227.00	122.00	...	122.00	229.00	...	229.00
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	...	...	...	<b>227.00</b>	...	<b>227.00</b>	<b>122.00</b>	...	<b>122.00</b>	<b>229.00</b>	...	<b>229.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>782.01</b>	...	<b>782.01</b>	<b>2400.00</b>	...	<b>2400.00</b>	<b>1343.13</b>	...	<b>1343.13</b>	<b>2400.00</b>	...	<b>2400.00</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान पर्यटन मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **पर्यटन महानिदेशक:** यह प्रावधान पर्यटन महानिदेशालय के मुख्यालय स्थापना तथा इसके अधीन क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालयों पर व्यय के लिए है। पर्यटक सूचना का प्रसार पर्यटन अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास होटल, ट्रेवल एजेंटों, गाइडों, आदि जैसे यात्रा उद्योग के विभिन्न घटकों का विनियमन उनके मुख्य कार्य हैं। इसमें बेहतर पर्यटक सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सूचना प्रौद्योगिकी पहलों के लिए भी प्रावधान शामिल हैं।

3. **विशेष विषयों के आसपास पर्यटन सर्किट का समन्वित विकास (स्वदेश दर्शन):** योजना का उद्देश्य उच्च पर्यटक मूल्य के सिद्धांत पर पर्यटक की थीम आधार पर विकास करना, पर्यटन अनुभव को बढ़ाने और रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों की आवश्यकता और धारणा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक जुट प्रयास से एकीकृत रूप में प्रतिस्पर्धता और संधारणीयता विकसित करना है। वर्तमान में स्वदेश दर्शन योजना के तहत 13 थीमैटिक सर्किटों को कवर करते हुए 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

4. **आइकानिक पर्यटन स्थल का विकास:** बुनियादी सुविधाओं और कौशल विकास, प्रौद्योगिकी के उपयोग, निजी निवेश, ब्रांडिंग और विपणन को आकर्षित करने वाले समग्र दृष्टिकोण से देश में प्रतिष्ठित उन्नीस स्थलों के विकास के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना "प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों / गंतव्यों का विकास" तैयार की गई है।

5. **तीर्थयात्री पुनर्जागरण और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद):** प्रसाद योजना का उद्देश्य पर्यटकों के धार्मिक, आध्यात्मिक और विरासत अनुभवों को समृद्ध करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और सभी हितधारकों की आवश्यकताओं और सरोकारों पर ध्यान देते हुए प्रयासों में तालमेल कायम करके एकीकृत तरीके से अधिक पर्यटक यात्राओं, प्रतिस्पर्धा एवं संधारणीयता के सिद्धांतों पर तीर्थ तथा विरासत पर्यटक गंतव्यों की पहचान करना और उनका विकास करना है।

6.01. **चैम्पियन सर्विस सेक्टर स्कीम:** चैम्पियन सेवा क्षेत्र योजना भारत को अधिक प्रतिस्पर्धी गंतव्य बनाने के लिए और पर्यटकों को घरेलू और विदेशी दोनों के लिए अधिक समृद्ध अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए एक दृष्टिकोण के साथ तैयार की गई है।

6.02. **केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता:** पर्यटन स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना का विकास अपने लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा समाज के लिए अन्य सामाजिक आर्थिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर जनसमुदाय सृजित कर सकता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के द्वारा सभी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना का समग्र विकास संभव नहीं होगा क्योंकि अनेक महत्वपूर्ण स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आईटीडीसी, आदि जैसे केन्द्रीय अभिकरणों के अधिकार क्षेत्र/ नियंत्रण में हैं, और उनके नियंत्रणाधीन पर्यटक रूचि के स्थलों का समग्र विकास उनके स्वयं के संसाधनों से सम्भव नहीं होगा तथा संसाधनों, विशेषज्ञता के आमेहन तथा

विकास के पश्चात् तथा अनुरक्षण और प्रबंधन के अनुभव की आवश्यकता हो सकती है। इन कमियों को दूर करने तथा केन्द्रीय अभिकरणों की सक्रिय भागीदारी के लिए केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ केन्द्रीय अभिकरणों के स्वामित्ववाले पर्यटक रूचि की क्षमतावान परिसम्पत्तियों को विकसित करने के उद्देश्य से ऐसे पर्यटक वाले स्थलों को केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा संबर्धित करने का प्रस्ताव है।

6.03. **बाजार अनुसंधान:** पर्यटन मंत्रालय पर्यटन के संबंध में विभिन्न अध्ययनों और सर्वेक्षणों का आयोजन करता है ताकि निर्णय लेने और नियोजन के लिए योजना तैयार की जा सके और विभिन्न योजनाओं और स्थलों के लिए मास्टर प्लान तैयार की जा सके। व्यय विभाग के निर्देशों के अनुसार योजना को एक अलग योजना के रूप में बंद कर दिया गया है। इस योजना के तहत गतिविधियों को सेवा प्रदाताओं के लिए योजना क्षमता निर्माण के साथ मिला दिया गया है।

6.04. **गंतव्य एवं सर्किटों के लिए उत्पादन/अवसंरचना विकास:** योजना समाप्त कर दी गई है।

7. **कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी स्कीम:** वित्त मंत्रालय द्वारा 28.06.2021 को की गई घोषणा के अनुसार कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र (एलजीएससीएटीएसएस) के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की गई थी। पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित यात्रा और पर्यटन हितधारकों (टूर ऑपरेटर/ट्रेवल एजेंट/पर्यटक परिवहन ऑपरेटर) के लिए प्रत्येक के लिए रु.10.00 लाख तक की गारंटी मुक्त ऋण और पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आरएलजी/आईआईटीजी को रु.1.00 लाख तक का मुक्त ऋण , राज्य सरकार/ संघयाासित प्रशासन द्वारा अनुमोदित पर्यटक गाइड इस योजना के अंतर्गत शामिल है। योजना को एनसीजीटीसी के माध्यम से ठीक किया जाना है। लगभग दस अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने योजना शुरू की है और एल जीसीएटीएसएस के कुछ लाभार्थियों को चेक/स्वीकृत पत्र वितरित किए गए हैं।

8. **पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसी हेतु सहायता:** पर्यटन स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना का विकास अपने लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा समाज के लिए अन्य सामाजिक आर्थिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर जनसमुदाय सृजित कर सकता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के द्वारा सभी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना का समग्र विकास संभव नहीं होगा क्योंकि अनेक महत्वपूर्ण स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आईटीडीसी, आदि जैसे केन्द्रीय अभिकरणों के अधिकार क्षेत्र/ नियंत्रण में हैं, और उनके नियंत्रणाधीन पर्यटक रूचि के स्थलों का समग्र विकास उनके स्वयं के संसाधनों से सम्भव नहीं होगा तथा संसाधनों, विशेषज्ञता के आमेहन तथा विकास के पश्चात् तथा अनुरक्षण और प्रबंधन के अनुभव की आवश्यकता हो सकती है। इन कमियों को दूर करने तथा केन्द्रीय अभिकरणों की सक्रिय भागीदारी के लिए केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ केन्द्रीय अभिकरणों के स्वामित्ववाले पर्यटक रूचि की क्षमतावान परिसम्पत्तियों को विकसित करने के उद्देश्य से ऐसे पर्यटक वाले स्थलों को केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा संबर्धित करने का प्रस्ताव है।

9. **चैम्पियन सेवा क्षेत्र योजना:** चैम्पियन सेवा क्षेत्र योजना भारत को अधिक प्रतिस्पर्धी गंतव्य बनाने के लिए और पर्यटकों को घरेलू और विदेशी दोनों के लिए अधिक समृद्ध अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए एक दृष्टिकोण के साथ तैयार की गई है।

10. **बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को वैश्विक रूप से सर्वाधिक पंसदीदा स्थल के रूप में स्थापित करना है इस योजना के अंतर्गत जोरदार प्रचार और मार्किटिंग अभियान चलाए जाते हैं। मंत्रालय इंफ्लुएंस डेवेलपर्स को प्रोत्साहित करने के लिए दोहरे लाभ की नीति पर कार्य कर रहा है। स्पेन, चीन, फ्रांस आदि जैसे कुछ बाजारों में अधिक व्यापक और लक्षित पहुंच के लिए तथा नए बाजारों में मंत्रालय के प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना के लिए संवर्धनात्मक गतिविधियां स्थानीय भाषाओं में चलाई जाती हैं।

11. **बाजार विकास सहायता सहित स्वदेशी संवर्धन एवं प्रचार:** इस योजना के अंतर्गत स्वदेशी पर्यटन के संवर्धन और सामाजिक जागरूकता संदेशों को प्रचारित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। देश के महत्वपूर्ण पर्यटक उत्पादों के संवर्धन के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में अभियान चलाए गए। पर्यटक स्थल के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू एवं कश्मीर के संवर्धन के लिए भी अभियान चलाए गए।

12. **आई.एच.एम./ एंफ़.सी.आई./आई.आई.टी.टी.एम./ एन.डब्ल्यू.आई.एस. को सहायता:** देश में पर्यटन क्षेत्र गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों की भारी कमी का सामना कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटन उद्योग में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यमान हाटेल प्रबंधन संस्थानों (आईएचएम), फुड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट (एफसीआई), भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), राष्ट्रीय होटेल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी परिषद (एमसीएचएमसीटी), राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस) के विस्तार तथा उन्नयन के लिए तथा नए संस्थानों जैसे कि होटल प्रबंध संस्थानों (आईएचएम) तथा भोजन कला संस्थानों (एफसीआई) की स्थापना के लिए भी केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इस योजना के अंतर्गत आवंटित निधियां उक्त उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं।

13. **सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण:** सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) ने एक प्रमुख कार्यक्रम रखा है, जिसका शीर्षक हुनर से रोजगार तक है, जो न्यूनतम 8 वीं पास और 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र की कुशल मानव शक्ति की आवश्यकता को पूरा करना है, साथ ही समाज में गरीबों तक रोजगारपरक कौशल प्रदान करना है। उन्हें आतिथ्य क्षेत्र में कार्यरत सेवा प्रदाताओं के कौशल को समेकित करने के लिए एक कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। युवाओं में क्षमता विकसित करने और सूक्ष्म और लघु व्यवसाय स्टार्ट-अप आरम्भ करने के उद्देश्य से, मंत्रालय ने एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम को शुरू किया।

14. **महिलाओं के लिए संरक्षित पर्यटन स्थल:** महिलाओं के लिए संरक्षित पर्यटन स्थल एक ऐसी स्कीम है, जिसमें पर्यटन स्थल के निकट और इसके आसपास के इलाकों में महिलाओं के लिए सुरक्षित और संरक्षित महौल प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जहां महिलाएं बिना किसी डर और उत्पीड़न के सुरक्षित यात्रा कर सकेंगी।